

संख्या 00863/2020-2021

पात्रप-१  
नियम ४(२) देखिये

दिनांक 30/09/2020



**सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र**  
**(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )**

नवीनीकरण

संख्या: R/GOR/06369/2020-2021

पत्राधारी संख्या: G-04

दिनांक: 1985-1986

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वीणा चामोदीन सेवा छासिति, बीहाला-खड़कपुर जलमद- गोरक्षपुर, उत्तरपुर, 273001 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 04/1985-1986 दिनांक-23/09/1985 को दिनांक-23/09/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।  
 1100 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By  
 (AJAY KUMAR SHAHI)

312B4F4793C97A2B152F6F771F04D43EDB573E5B

Date: 30/09/2020 11:39:05 AM, Location: Gorakhpur.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
 उत्तर प्रदेश।

जारी करने का दिनांक-30/09/2020

भारतीय और न्यायिक

दस  
रुपये

₹.10

भारत

TEN  
RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AD 589577

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिलाई गई।  
सौ. ०८ पात्र  
विलास गोप्यकृष्ण  
पुरुष कृष्ण  
की दूरी का - २०१५/१६

यह अधिकारक संस्थान का है।



संघीय संघातक  
पर्ष संसाधन विभाग  
गोप्यकृष्ण (२०१५/१६)

दीपा ग्रान्तीद्योग सेवा समिति दाउदपुर गोरखपुर की प्रवत्त्य समिति की तुष्टी वर्ष:-2015.16

कालांत्र नाम/पिता का नाम

पता:

पद

व्यवसाय

1. श्री ओम प्रकाश मिश्र  
पुत्र हृष्ण चन्द्रदेव मिश्र
2. श्री उमाकान्त शाही  
पुत्र श्री रामनवल्ल शाही
3. श्री अनिल कुमार राय  
पुत्र हृष्ण रामदास राय
4. श्रीमती विद्यावती राय  
पत्नी श्री अनिल कुमार राय
5. श्रीमती माधुरी राय  
पत्नी श्री जैवीराय
6. श्रीमती गीरा राय  
पत्नी हृष्ण अख्ल कुमार राय
7. श्रीमती सुशीला शाही  
पत्नी श्री कुलभूषण शाही
8. श्री अमरनाथ सिंह  
पुत्र स्वर्ग श्रीनारायण सिंह
9. श्री राजीव कुमार राय  
पुत्र हृष्ण रामदास राय
10. श्री संजीव कुमार राय  
पुत्र हृष्ण रामदास राय
11. श्रीमती साधना राय  
पत्नी श्री संजीव कुमार राय
12. श्री कुलभूषण शाही  
पुत्र हृष्ण विष्वनांगल शाही

मो० दाउदपुर जनपद गोरखपुर

अध्यक्ष

कृषि

उपरोक्त

उपाध्यक्ष

"

उपरोक्त

मंत्री

"

उपरोक्त

कोचाध्यक्ष

"

उपरोक्त

सदस्य

"

उपरोक्त

सदस्य

"

उपरोक्त

सदस्य

"

राजेन्द्रनगर पश्चिमी, गोरखपुर

जनपद गोरखपुर

मो० दाउदपुर जनपद गोरखपुर

सदस्य

सद

संख्या - २४१०



### सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

पत्रावली संख्या जी- ०४

नवीनीकरण संख्या- 1201 / 2015-2016

एसद्वास ब्रह्मापुत्र किलो जला हैं कि वीणा ग्रामीण योग सेवा समिति

महल्ला- दारिद्र्यपुर, जनपद- गोरखपुर, ३० प्र०

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या- ०४/१९८५-१९८६

दिनांक 23/09/1985 को दिनांक 23/09/2015 से पांच वर्ष की अवधि के लिए  
नवीनीकृत किया गया है।

1000.00 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप ८० प्राप्त हो गयी है।

दिनांक : 23.09.2015

०४.२३।९।१५

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश

अस्ट्रोशैट सूति-पत्र

1. संस्था का नाम :: वीणा ग्रामोदयोग सेवा समिति।
2. संस्था का पूरा पता :: मोह दाउदपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: जिला - गोरखपुर।
4. संस्था का उद्देश्य :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

1. भारतीय परम्परा के आधार पर साध्य जीवन उच्च विचार पर जागरूकता लघुगान्धीयिक, प्राइमरी, जूँडाइन्ड्रल, हाईस्कूल, इन्टर एवं उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना विस्तरे भारतीय स्थावरतम्बन एवं स्वदेश प्रेम की भावना उत्पन्न हो सके। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या विद्यालयों की स्थापना करना।

2. शिक्षा के साध्य-साथ, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टाइपिंग, सिलाई, कढाई, बुनाई, पेटिंग, संगीत, नृत्य, ब्यूटीशिप, फ्ल संरक्षण रेक्टीन कला, गृह-सज्जा, आचार, मुरब्बा, भावित्स, पलल, जगरबाती, घोषबत्ती, मसाला जैसे रोजगार की जानकारी देकर बालक, बालिकाओं को स्थावरतम्बन बनाना।

3. पर्यावरण, त्रृक्षारोपण, प्रदूषण, ग्रीष्म शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शाशांता विश्वन, नार्थकों का संचालन करना व प्रचार व प्रसार करना, स्वयं सहायता समूहों का गठन करना व इसके बारे में ज्ञान करवाना।

4. कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु गन्ता, फ्ल, सब्जी, धान, मेहु, दालों की नयी व पुरानी तकनीकों को विकसित करके किसानों को अधिकतम जानकारी प्रदान करदाना, जैविक खेती, जैविति, दुष्प्रवास के क्षेत्र में जागृति पैदा करना, तथा इसका प्रसार प्रचार करना।

5. देवी आपदा बाल भूकम्प, सूखा, झींगा, जैवी जायानक विमारियों के सरकार के साथ कर्तव्य से उन्होंने मिलाकर छलने का प्रयत्न करना।

6. मानव संसाधन मंत्रालय, कार्पार्ट, नवाई, सिल्वी, बालशाखिक, बालविकास, बालविकास, यूनिसेफ, यूनिसेफ, आईएप्लओडो व छाती ग्रामोदयोग बोर्ड ने सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करने का प्रयत्न करना।

7. माउंडों से सांचेश्वर यीन प्रहार की रोकथाम यहां प्रति वार्षिक विद्यालय में जारी एवं समूह मण्डल ने करवाने का प्रयत्न करना।

8. लास्टल, अनावालय, बालवालय, पुस्तकालय, वृद्धाभास्त्रम, बालज्ञानम, गहिलाभास्त्रम, बरातधार, रंगमंच, छाटपंच की स्थापना कर जन जन को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध ठहराने का प्रयत्न करना।

9. अप्पोण/शठरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को, पार्क शिवर, नाली, खण्डगां

10. सुन्दरीकरण करवाने का प्रयत्न करना।

11. अविवाह कल्याण, दीक्षाभृत्य, कैसर, गप रोग, संक्रमक रोग, एड्स, प्लस पीलियो, हेपेटाइटिस बीउ, एड्स, नाताजों को अपने बच्चों को दुष्प्रवासने एवं उन्हें स्वस्थ रखने के बारे में ज्ञान छर्चाना, परिवार

12. जीव-जन्मजूओं से नम्बनियत समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना एवं इसका प्रचार व प्रसार करना।

13. उच्चस्तरीय शोलकूद जैसे- क्रिकेट, हाकी, फुटबॉल, बालीबाल, चबड़ी, बुन्नी, बैडमिंटन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जायोजन करना, प्लाऊ, एमर्च डिस्पेन्सरी, व निःशुल्क लास्टल, निःशुल्क विकासालय की स्थापना करना।

14. जिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं की सांसारित नागरिक बनाना व कन्या विद्यालयों की स्थापना करना।

15. संस्था के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाये, जूनरल नालेज के बारे में जानकारी देना।

16. विकलांग बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, कृतियम और निःशुल्क विकासालय सुविधा प्रदान करना।

17. स्वजलधारा, स्वच्छता, इससे सम्बन्धित सरकार द्वारा संबलित समस्त योजनाओं की जानकारी केरल एवं प्रचार व प्रसार करना।

18. युवाजों को राष्ट्र की मुख्य वारा से जोड़ने हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना।

महस्य पालन, भूमि सुधार से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का संचालन करना व इसका प्रचार व प्रसार करना।

बहुआवास राज्यसभा

2. संस्था का पूरा पता :: नौठ दाउदपुर  
जिला- गोरखपुर।
3. संस्था का कार्यक्रम :: सम्पूर्ण उत्तर द्रव्ये।
4. संस्था का उद्देश्य-
1. भारतीय परम्परा के जापान पर साधा जीवन उच्च विद्यार पर आधारित लघुगान्धनिक, प्राइमरी, जू़फ़ाइल्स्कूल, हाईस्कूल, इंटर एवं उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना जिससे भारतीय स्थानांशन एवं स्वदेशी ब्रेम की जानकारी उत्पन्न हो सके। विशेषकर जामीन खेजो में कृष्ण विद्यालयों की स्थापना करना।
  2. शिक्षा के साथ-साथ, कम्प्यूटर प्रैक्टिस, टाइपिंग, सिलाई, कढाई, बुनाई, ऐटिंग, संभाल, गृह, ब्यूटीशियन, फल संरक्षण और सीम ब्रेम, गृह सज्जा, आचार, पुरावा, भाचिस, पत्तल, अगरबत्ती, मसाला ऐसे रोजगार की जानकारी देकर बालक, बालिकाओं को स्थानांशी बनाना।
  3. पर्यावरण, वृक्षारोपण, प्रदूषण, धूप शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, लकड़ाइया मिशन, कार्पकमो का संचालन करना व प्रधार व प्रसार करना, स्वयं सहायता समूहों का गठन करना व इसके बारे में ज्ञान करना।
  4. कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु गृहना, फल, सब्जी, गान, नेह, दालों की नयी व पुरानी तकनीकों को विकसित करके किसानों को अधिकातम जानकारी प्रदान करना, जैविक खेती, और्जा, दुर्घ विकास के क्षेत्र में जागृति पैदा करना, तथा इसका प्रसार प्रवार करना।
  5. ऐसी आपदा वाले भूकम्प, सूखा, झींजा, लेन जैसी अव्याहनक विस्तृतियों के सरकार वे साथ हृत्य से कृष्ण मिलाकर बचाने का प्रयत्न करना।
  6. मानव संसाचन अंतराल, कपार्ट, नवाई, सिलवी, बालश्रमिक, बालविकास, बालविषेषिक, दूषिसेक, पूनिसेक, मार्हियपलाइयों व खासी ग्रामोद्योग वेंड ने सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का प्रधार व प्रसार करने का प्रयास करना।
  7. निःशुल्क दिलाने के लिए रेल रेलवे का प्रयत्न करना।
  8. निःशुल्क दिलाने के लिए रेलवे का प्रयत्न करना।
  9. निःशुल्क दिलाने के लिए रेलवे का प्रयत्न करना।
  10. निःशुल्क दिलाने के लिए रेलवे का प्रयत्न करना।
  11. निःशुल्क दिलाने के लिए रेलवे का प्रयत्न करना।
  12. निःशुल्क दिलाने के लिए रेलवे का प्रयत्न करना।
  13. निःशुल्क दिलाने के लिए रेलवे का प्रयत्न करना।
  14. निःशुल्क दिलाने के लिए रेलवे का प्रयत्न करना।
  15. निःशुल्क दिलाने के लिए रेलवे का प्रयत्न करना।
  16. निःशुल्क दिलाने के लिए रेलवे का प्रयत्न करना।
  17. निःशुल्क दिलाने के लिए रेलवे का प्रयत्न करना।
  18. निःशुल्क दिलाने के लिए रेलवे का प्रयत्न करना।

विद्यालय नियन्त्रण  
कानूनी दोषादारी नियन्त्रण  
विद्यालय नियन्त्रण

क द्वारा नियमानुसार कायमार सापा "वा-

क्र०सं०	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री रामदास राय पुत्र स्व० लक्ष्म राय	मो० दाउडपुर, जिला गोरखपुर	अधिकारी	कृषि
2.	श्री ओग प्रकाश मिश्र पुत्र श्री चन्द्रदेव मिश्र	उपरोक्त	उपाधिकारी	"
3.	श्री अनिल कुमार राय पुत्र श्री रामदास राय	उपरोक्त	मंत्री	"
4.	श्रीमती विद्यावती राय पत्नी श्री अनिल कुमार राय	उपरोक्त	कोषाध्यक्ष	गृहणी
5.	श्रीमती मायुरी राय पत्नी श्री जे०सी०राय	उपरोक्त	उपर्युक्ती	"
6.	श्रीमती मीराराय पत्नी श्री अरुण कुमार राय	उपरोक्त	सदस्य	"
7.	श्रीमती सुशीला शाही पत्नी श्री कुलभूषण शाही	उपरोक्त	सदस्य	"
8.	श्री उमाकान्ती शाही पुत्र श्री रामनवल शाही	उपरोक्त	सदस्य	कृषि
9.	श्री राजीव कुमार राय पुत्र श्री रामदास राय	उपरोक्त	सदस्य	"
10.	श्री संजीव कुमार राय पुत्र श्री रामदास राय	उपरोक्त	सदस्य	"
11.	श्रीमती साधना राय पत्नी श्री संजीव कुमार राय	उपरोक्त	सदस्य	"
12.	श्री कुलभूषण शाही पुत्र श्री शिवमंगल शाही	उपरोक्त	सदस्य	"

6. हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता संस्था के उपरोक्त सूति-पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार संस्था का रजिस्ट्रेशन 21 सन् 1860 के अनुसार सोसायटीज रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ-

हस्ताक्षर

दिनांक २७/८/०५

राजीव कुमार  
कुलभूषण शाही

सुशीला शाही  
विद्यावती राय

Sadhamdevi

Rajeev

उमाकान्त शाही

(ट्रॉफिक बिल्डर)

मीराराय

Rajeev Kumar Ray

जान्मती इन्डी

संघ पत्रिका

१००९०५

३१९०५

नियमावली रजिस्ट्रेशन

२०८० वर्ष का तथा नियमावली

२०८० वर्ष का तथा नियमावली

नियमावली रजिस्ट्रेशन

२०८० वर्ष का तथा नियमावली

३१९०५

10. सीओबीएसएडॉ बोर्ड के नियम तथा प्रतिवन्ध-

- क- विद्यालय की एजेंकूट सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाय।  
 ख- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।  
 ग- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के द्वारा सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।  
 घ- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउनिसल पार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एकजानिनेश नहीं दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्ध प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।  
 ङ- संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।  
 घ- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अपासकीय उच्चार माध्यमिक विद्यालयों कर्मचारियों को अनुभन्न सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।  
 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्भत किये जायेंगे मंस्था उनका पालन करेगी।  
 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा, यदि हो तो कृपया प्रबन्धकारिणी का इस अधिकार का प्रतिवाव संलग्न करे कि विद्यालय के विभाग/शासन के सभी प्रबन्धक इस के द्वारा तक स्वीकार है।  
 उक्त शर्तों में दिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

कार्यकाल- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर 5 वर्ष का होगा।

11. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकर एवं कर्तव्य-

अध्यक्ष-

- सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
- बैठकों को बुलाना, अनुमोदन करना तथा उसको सुविधानुसार परिवर्तन करना।
- बैठक ने शांति व्यवस्था कायम करना।
- समिति की बैठकों को देखते हुए तथा राष्ट्रीय नियमों के अन्तर्गत दूसरे प्रदेशों एवं अन्य देशों में प्रतिनिधि भेजना।

विद्यालय राज्यकू. १  
सर्वोच्च शोधाइटीव तथा विद्या  
मंत्री द्वारा दिल्ली

(अधिकारी) द्वारा  
अधिकारी

5. समिति वीं बैठक बुलाना एवं उसे सुविधानुसार परिवर्तन करना।
6. संस्था में मुख्य कार्यशालक के स्वप्न में कार्य करना।
7. बैठक की अध्यक्षता करना तथा उनको कार्यवाही रेसिस्टर पर नोट करना।
8. संस्था की ओर से सभी विल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
9. संस्था की चल अचल सम्पत्ति की देखभाल करना।
10. संस्था के विस्तर होने वाले समस्त मुकदमों की पैरवाना करना।
11. संस्था के कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना।
12. कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति निष्कासन व निलम्बन मंत्री के साथ मिलकर करना।

**उपाध्यक्ष-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

**मंत्री-**

1. समिति की बैठक बुलाना।
2. समिति के ऐनिक कामों का संचालन करना।
3. सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क कर संस्था के हितों की पूर्ति करना।
4. वैलनिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी समिति को आवश्यकता पड़ने पर अपनी राय एवं संस्तुत करना।
5. समिति की सभी बैठकों की कार्यवाही लिखना एवं अध्यक्ष से उसे प्रमाणित कराना।
6. व अन्य कार्य करना जो अध्यक्ष अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा समय समय पर दिये जायें।

**उपमंत्री-** मंत्री की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

**कोषाध्यक्ष**

1. संस्था के लिए बन एकलित करना।
2. संस्था का कोष किसी मानदण्ड प्राप्त बैंक या पोओ ऑफिस में संस्था के नाम से जमा किया जायेगा।
3. समिति के हित में अध्यक्ष की अनुमति से समस्त कार्य करना।

किशन सिंह चौहान  
किशन चौहान द्वारा दिया गया दस्तावेज़  
किशन सिंह चौहान  
किशन सिंह चौहान

.....5

मीराराम  
कृष्णप्रसाद  
कुलदेवता

सुशीला शाहू  
सिद्धान्ती राय  
Siddhant Ray  
(Signature)

(Signature)  
33  
निर्मला शर्मा

12. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-  
संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के सभी प्रकार के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा।
13. संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा परीक्षण [आडिट]  
संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा परीक्षण आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्य प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायेगा।
14. संस्था का कोष-  
संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पो० आ० में संस्था के नाम से जमा किया जायें जिसके संचालन के लिए अध्यक्ष व मंत्री व कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो का संयुक्त हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।
15. संस्था द्वारा अथवा उसके विस्तृ अदालती कार्यवाहीयों के संचालन का उत्तरदायित्व-  
अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा अदाला उसके विस्तृ होने वाले मुकदमे अपने जनपदीय न्यायालय में सुलझाये जायेंगे एवं समस्त मुकदमों (बाद-प्रतिवादों) की पैरवी अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

संस्था के अधिलेख-

1. सदस्यता रजिस्टर।
2. कार्यवाही रजिस्टर,
3. सूचना रजिस्टर
4. स्टाक रजिस्टर।
5. कैश बुक आदि।

16. संस्था के विषट्टन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रोज० की घारा 13 व अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक २७.७.९८

सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर-

मीराराम  
रामचन्द्रगां  
ठुल्लुपत्तनम्  
शुद्धीत्वा शास्त्र  
कैदावली राय

Sachinendra

(Signature)

(Rki)

(Signature)

कार्य प्रतिलिपि  
महाराष्ट्र राजस्व  
कैदावली राय संसाधन  
ठुल्लुपत्तनम्  
०१/१९९५

प्रतिलिपि राजीत गया -  
कैदावली राय -  
०१/१९९५